

क्रमांक-3329500/02/2016/ 1329

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जलसंसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन तुलसी नगर भोपाल म0प्र0

भोपाल, दिनांक. 14 /06/2017

// कार्यालयीन-आदेश //

म0 प्र0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र एफ-22/1/2008/नियम-4/भोपाल दिनांक 24 जनवरी-2008 समसंख्यक पत्र दिनांक 16 सितम्बर 2014 तथा म0 प्र0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र 11-3/1661/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 21.09.2016 में निहित प्रावधान अनुसार समिति की अनुशंसा के आधार पर नियमित स्थापना में कार्यरत निम्नलिखित अनुसंधान सहायकों को 20 वर्ष की पूर्ण होने के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष दर्शाई अवधि अनुसार द्वितीय समयमान वेतनमान वेतन बैंड रु. 15600-39100 +ग्रेड पे रु. 5400/- की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

स.क्र.	कर्मचारी का नाम व पदनाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	समयमान वेतनमान की पात्रता का दिनांक
1	2	3	4
1	श्रीमती मालविका एन. चार्ल्स	30.08.1995	30.08.2015
2.	श्री एच. सी. तिवारी	04.07.1995	04.07.2015
3.	श्री हेमंत शर्मा	24.07.1996	19.08.2016

सामान्य शर्तें -

- 1 समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार दिनांक 23.03.2009, एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.05.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा । वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र दो पर आवश्यक विकल्प प्राप्त कर लिया जावे ।
- 2 समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा ।

(राजीव कुमार सुकलीकर)

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृ.क्र. 3329500/02/2016/ 1330

भोपाल, दिनांक 14/06/2017

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता बोधी, जल संसाधन विभाग भोपाल ।
2. निज सहायक प्रमुख अभियंता/ अधीक्षण यंत्री(प्रशासन), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
3. वेब मैनेजर, /सहायक यंत्री कार्यालय परि.संचालक, पाईकू भोपाल की ओर विभागीय वेब साईड पर प्रविष्टि हेतु ।
4. सम्बन्धित श्री/श्रीमती द्वारा सं.क्र. 1 अनुसंधान सहायक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । संबंधित कार्यालय कृपया वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका की जॉब संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से कराने के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जाये ।

14/6/17
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल